संविधान संवाद शृंखला - 8

संविधान सभा में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र

विकास संवाद

शीर्षक

संविधान सभा में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र

(संविधान संवाद शृंखला - 8)

लेखक

सचिन कुमार जैन

संपादन सहयोग

पूजा सिंह, राकेश कुमार मालवीय,
रंजीत अभिज्ञान, पंकज शुक्ला

संस्करण - प्रथम

वर्ष - 2023

प्रतियां - 1000

सहयोग राशि
छात्रों के लिए - ₹ 20
नागरिकों के लिए - ₹ 25
संस्थाओं के लिए - ₹ 30

मुद्रक - अमित प्रकाशन

सज्जा - अमित सक्सेना

प्रकाशक
विकास संवाद
ए-5, आयकर कॉलोनी, जी-3, गुलमोहर कॉलोनी,
बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.) - 462039. फोन : 0755-4252789
ई-मेल : office@vssmp.org / www.vssmp.org
www.samvidhansamvad.org

संविधान सभा में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र

पंद्रह अगस्त 1947 को मिली वास्तविक स्वतंत्रता से महीनों पहले दिसंबर 1946 में ही हमारी संविधान सभा में भारतीय स्वतंत्रता का घोषणापत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिसे हम लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। इस घोषणापत्र में भारत को पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र बनाने के साथ-साथ उसके शासन के लिए एक विधान तैयार करने का संकल्प लिया गया था। हमारी गणतंत्रात्मक प्रणाली और मूल अधिकारों की बुनियाद इन्हीं प्रस्तावों में निहित है। यह एक असाधारण पहल थी क्योंकि दूसरे विश्वयुद्ध, विभाजन की मांग और सांप्रदायिक हिंसा जैसे विपरीत हालात में यह प्रस्ताव न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जैसे मूल्यों को अपनाने का स्वप्न देख रहा था।

आज़ादी के पहले आज़ादी की घोषणा!

भारत की आज़ादी के घटनाक्रम कई बार चौंका देते हैं। यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र' संविधान सभा में पेश कर दिया था। आठ बिन्दुओं के इस घोषणा पत्र की पहली घोषणा थी – 'यह विधान-परिषद (संविधान सभा) भारत वर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए।' अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 'हम कहते हैं कि हमारा यह दृढ़ और पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह ध्रुव निश्चय है कि भारत सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र प्रजातंत्र होकर रहेगा। जब भारत को हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे।' इस घोषणा पत्र को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने खड़े होकर सहमति दी और स्वीकार किया।

हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं जिसकी हवा में न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा और समानता जैसे मूल्यों की खुशबू घुली हुई है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने अपने स्वतंत्रता संघर्ष में कुछ मूल्य अपनाये, उन्हें महत्व दिया। मूल्यों की इस बगिया में कुछ फूल महात्मा गांधी ने लगाए तो कुछ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लगाए। कुछ फूल भगत सिंह ने तो कुछ डॉ. अम्बेडकर, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आज़ाद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगाए।

पृष्ठभूमि

वह दूसरे विश्वयुद्ध का दौर था। कई लोग मानते थे कि नाज़ीवाद और फासीवाद को रोकने के लिए भारत को युद्ध में ब्रिटेन की मदद करनी चाहिए। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया था कि वह ब्रिटेन की सेना का साथ नहीं देगी। मार्च 1940 में हजारीबाग के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि 'भारत नाज़ीवाद और फासीवाद की संभावनाओं को सहन नहीं कर सकता, परंतु वह इससे भी ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उकता गया है।'

ब्रिटिश वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने भारतीय प्रतिनिधियों, प्रांतीय सभाओं और राजनेताओं से संवाद किए बिना भारत को ब्रिटेन के पक्ष में लड़ने वाले राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इससे भारत में नाराजगी पैदा हुई। फरवरी 1942 में सिंगापुर के हाथ से निकल जाने के बाद ब्रिटेन के हौसले पस्त होने लगे। तब प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल (भारत की आज़ादी के विरोधी) की ब्रिटिश सरकार ने लेबर पार्टी के नेता और ब्रिटेन में युद्ध मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। इस मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं, खासकर कांग्रेस के नेताओं और गांधी से तथा प्रांतीय सरकारों से संवाद करके विश्व युद्ध में भारत का सहयोग हासिल करना। इसके बदले में क्रिप्स मिशन भारत में राष्ट्रीय चुनाव कराने और उसे स्वतंत्र उपनिवेश बनाने का प्रस्ताव दे रहा था।

कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। साथ ही क्रिप्स मिशन ने विभिन्न प्रान्तों को अपना-अपना संविधान बनाने का अधिकार देने की बात कही थी जिससे भारत पूरी तरह से खंडित हो जाता। इन वजहों से क्रिप्स मिशन असफल हो गया और कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' छेड़ दिया।

उधर, रासबिहार बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और जून 1942 में आज़ाद हिन्द फौज के गठन का निर्णय हुआ। फौज के साथ 40 हज़ार सैनिक जुड़ गये। इसके नेतृत्व के लिए सुभाष चन्द्र बोस को बुलाया गया। जब जापान ने मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर पर विजय हासिल कर ली, तब लगभग 45 हज़ार भारतीय सैनिक युद्ध बंदी बनाए गये। मलय युद्ध अभियान के दौरान बंदी बनाए गये ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द फौज का गठन हुआ। भारतीय सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष के चलते कई युद्ध बंदी सैनिक स्वेच्छा से फौज से जुड़ने लगे।

गांधी और नेहरू के खिलाफ नहीं थे बोस

एक मिथक जो जनमानस में बहुत गहरे तक फैला दिया गया है वह यह है कि सुभाष चन्द्र बोस गांधी और नेहरू के खिलाफ थे। जबकि सच यह है कि आज़ाद हिन्द फौज की पहली तीन लड़ाकू ब्रिगेडों के नाम गांधी, नेहरू और आज़ाद रखे गये थे। बहरहाल, आगे चलकर युद्ध का रुख बदला और जापान कमज़ोर पड़ गया। आज़ाद हिन्द फौज भारतीय सीमा में आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को सैन्य बल के असंतोष से यह समझ आ गया कि अब वह ज्यादा समय तक भारत पर सत्ता नहीं बनाए रख सकेगी।

लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव

भारत की आज़ादी की रूपरेखा तय करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। भारत में अंतरिम सरकार बनी और संविधान सभा का गठन हुआ। कांग्रेस ने एक विशेषज्ञ समिति बना कर लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने की व्यवस्था की। इसे पंडित नेहरू ने तैयार किया था। इसमें कहा गया, 'भारत एक

स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। इसमें ब्रिटिश भारत, अन्य भारतीय राज्य और ब्रिटिश भारत से बाहर के प्रांत, जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार हों, शामिल होंगे। भारत में शामिल होने वाले प्रान्तों और रियासतों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्तता प्रदान की जायेगी। शासन व्यवस्था को सभी ताकतें लोगों से प्राप्त होंगी तथा न्याय और सभ्य राष्ट्र के क़ानून के द्वारा गणराज्य की एकता और भूमि, समुद्र और आकाश पर अपने अधिकार की रक्षा की जायेगी।'

क्यों अनुपस्थित था 'लोकतंत्र' शब्द?

बेहद सोच विचार के बाद लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में 'लोकतंत्र' शब्द नहीं रखा गया क्योंकि यह संभव था कि रियासतें लोकतांत्रिक व्यवस्था न अपनाना चाहें और वे प्रस्ताव में लोकतंत्र के घोषणा के चलते संविधान सभा से बाहर रहने का निर्णय कर लेतीं। लक्ष्य संबंधी प्रस्तावों में लोकतंत्रात्मक शब्द क्यों नहीं शामिल किया गया यह जानने के लिए विशेषज्ञ समिति के महत्वपूर्ण सदस्य रहे के.एम. मुंशी की बात पर गौर करना जरूरी हो जाता है। वे लिखते हैं, 'कुछ संवेदनशील कारणों से लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव के प्रारूप में 'लोकतंत्रात्मक' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होगी और हमें यह आशंका थी कि यह शब्द (लोकतंत्रात्मक) उनके गुस्से को भड़का सकता है।' मुस्लिम लीग को ही प्रेरित करने के लिए प्रान्तों और रियासतों के लिए स्वायत्तता का जिक्र किया गया था। लेकिन अंतत: मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई।

हालांकि संविधान सभा में पंडित नेहरू ने इस विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था, 'यह तो निश्चित है कि भारत एक प्रजातांत्रिक (गणतांत्रिक) राष्ट्र होगा। हमारा अतीत गवाह है कि हम लोकतंत्रीय संस्था की ही स्थापना चाहते हैं, उसका स्वरूप क्या होगा, यह दूसरी बात है। इस प्रस्ताव में गणतंत्र की बात रखे जाने से देसी नरेशों को नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं वैयक्तिक रूप से राजतंत्रीय पद्धति में विश्वास नहीं रखता हूं। हमारा विचार यही है कि इन राज्यों की प्रजा को आने वाली आज़ादी में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए।'

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान का लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव (जिसे भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी कहा गया) सभा में पेश किया:

'हम अपना
रास्ता साफ़ कर रहे हैं ताकि
उस साफ़ जमीन पर संविधान की इमारत खड़ी
कर सकें। लेकिन मुनासिब है कि हम और आगे बढ़ें,
इसके पहले इस बात को साफ़ कर दें कि हम किधर जाना
चाहते हैं, हम देखते किधर हैं और कैसी इमारत हम खड़ी करना
चाहते हैं? जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसके पहले कुछ-कुछ
नक्शा दिमाग में मौजूद होता है और ईंट-पत्थर जमा किए जाते हैं। आप
जानते हैं कि जैसी संविधान सभा हम चाहते थे, यह बिलकुल उस किस्म
की सभा नहीं है। ख़ास हालात में यह पैदा हुई है और इसके पैदा होने में
अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। हम यहां हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत से
मिले हैं और जो बात हम यहां करें, वह उसी दर्जे तक कर सकते
हैं, जितनी कि उसके पीछे हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत और
मंजूरी हो.....कुल हिन्दुस्तान के लोगों की, किसी
ख़ास फिरके या ख़ास गिरोह की नहीं।'

मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति

संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हो रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि इस बात से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम कोशिश करेंगे कि उनके जज़्बातों का तर्जुमा हम इस विधान में करें। हम कोई ऐसी बात न करें, जो औरों को तकलीफ पहुंचाए या जो बिलकुल किसी उसूल के खिलाफ हो। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि

भारत की आज़ादी को संभालने वाले हाथ कितने मज़बूत, दिमाग कितना सचेत और हृदय कितना संवेदनशील था!

जिस दिन संविधान का लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, उस दिन न तो मुस्लिम लीग के नुमाइंदे संविधान सभा में थे और न ही रियासतों के। तब यह सलाह भी दी गयी कि अभी प्रस्ताव पेश न किया जाए, लेकिन देश और दुनिया को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सभा एक बेजान इकाई नहीं है, यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चूंकि कैबिनेट मिशन योजना में प्रान्तों और रियासतों के तीन मंडल बनाने का प्रावधान था और उन्हें स्वायत्तता भी दी गयी थी, इसलिए लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं था कि प्रान्तों और रियासतों में अंदरूनी हुकूमत कैसी होगी? जवाहर लाल नेहरू ने बस यही कहा था कि 'किसी रियासत में वह काम नहीं हो सकता, जो हमारे बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो या जो हिन्दुस्तान के हिस्सों के मुकाबले में आज़ादी कम करे। अगर लोग खुद राजा-महाराजा रखना चाहते हैं तो रखें, फैसला वही लोग करेंगे।'

संविधान सभा के बुनियादी सिद्धांतों की चर्चा करते समय भारत के पांच हज़ार सालों के इतिहास का जिक्र किया गया क्योंकि सभा की जिम्मेदारी थी कि वह इस संविधान को उस इतिहास संदर्भ में सोचे और बनाए। पंडित नेहरू ने फ्रांस की क्रांति का जिक्र किया और सोवियत राष्ट्र के प्रादुर्भाव का भी, यानी संविधान के लक्ष्य एक व्यापक ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामरिक नज़रिये से निर्धारित किए जा रहे थे।

लक्ष्य संबंधी प्रस्तावों का स्वीकार

22 जनवरी 1947 को यानी आज़ादी के लगभग आठ महीने पहले भारत की संविधान सभा ने लक्ष्य संबंधी (इसे भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी कहा जाता है) प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में 8 घोषणाएं थीं-

1. यह संविधान सभा भारत वर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाया जाए;

2. जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा, जो आज ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों के अंतर्गत तथा उनके बाहर भी हैं और आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं; और

3. जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमाएं चाहे कायम रहें या संविधान सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बदलें, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा, उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे, जो संघ को नहीं सौंपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबंध संबंधी सभी अधिकारों को बरतेंगे, सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

4. जिसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति तथा सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी; तथा

5. जिसमें भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवीय समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धंधे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

6. जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबाइली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण विधि रहेगी; और

7. जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित रहेंगे; और

8. यह प्राचीन देश संसार में अपने योग्य व सम्मानित स्थान को प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।

लक्ष्य संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव चर्चा और बहस के लिए संविधान सभा में पेश किया था।

श्रीमती दक्षायणी वेलायुधन ने इस प्रस्ताव पर कहा कि संविधान सभा केवल संविधान ही नहीं बनाती है, वरन जनता को जीवन का एक नया स्वरूप भी देती है।

जिस वक्त यह प्रस्ताव संविधान सभा में पारित हुआ, तब भारत की रियासतें भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थीं। उनसे भी संवाद हो रहा था। रियासतों के शासक चाहते थे कि उन्हें स्वायत्तता मिले और वे राजशाही की व्यवस्था के मुताबिक़ ही शासन करें। कैबिनेट मिशन योजना के मुताबिक़ रियासतों को स्वतंत्र भारत की सरकार (उस वक्त अंतरिम सरकार बनी थी) से ही समझौते के माध्यम से यह तय करना था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उनका स्वरूप कैसा रहेगा!

सभा में हुई चर्चाओं और फिर इसके समानांतर भारत सरकार की रियासतों के विलय की नीति (जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन कर रहे थे) के कारण अक्टूबर 1949 तक सभी रियासतें भारत में शामिल हो गयीं।

> हालांकि पंडित नेहरू ने कह दिया था, 'मैं नहीं चाहता और मेरा खयाल है कि यह सभा भी नहीं चाहेगी कि देसी राज्यों (रियासतों) पर उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ लादा जाए। उन्हें राजतंत्रात्मक प्रणाली रखने का अधिकार है; बशर्ते कि वहां पूरी स्वतंत्रता और दायित्वपूर्ण शासन हो और वह प्रजा के अधीन हो। यदि किसी रियासत के लोग राजा, महाराजा और नवाब को पसंद करते हैं, तो मैं चाहूं या न चाहूं, मैं इसमें कतई दखल देना पसंद नहीं करता।'

पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा था कि 'हालांकि मैं खुद देश की भलाई के लिए राज्यों को अवशिष्ट अधिकार दिए जाने का विरोध करूंगा, लेकिन मुस्लिम लीग हमें सहयोग दे, यही कारण है कि हमने प्रान्तों को बहुत अधिकार अधिकार देने का विचार अपनाया है। ताकि मुस्लिम लीग यह न कहे कि उनकी गैर-हाजिरी में हमने मनमाने ढंग से काम किया।'

रियासतों और मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के कारण एम.आर. जयकर के सुझाव पर लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 20 जनवरी 1947 तक के लिए टाल दिया गया था, हालांकि इस पर सरदार पटेल, गोविन्द वल्लभ पन्त, सर हरिसिंह गौड़, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आदि ने गंभीर बहस की थी। डॉ. अम्बेडकर ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा था कि 'अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल हो कि बल-प्रयोग द्वारा, युद्ध द्वारा, क्योंकि बल-प्रयोग ही युद्ध है....हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान किया जाए ताकि मुसलमानों को दबाकर उनसे वह संविधान मनवा लिया जाए, जो उनकी रजामंदी से नहीं बना है, तो इससे देश ऐसी स्थिति में फंस जाएगा कि उसे मुसलमानों को जीतने में सदा लगा रहना पड़ेगा। एक बार जीतने से ही जीत का काम समाप्त न हो जाएगा।'

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, 'सभापति जी, मैं तो कहूंगा कि हम लोग अंग्रेजों से आखिरी बार कह दें कि हम आपसे दोस्ताना ताल्लुक रखेंगे। आपने व्यापारियों की तरह पदार्पण किया, इस देश की अपार संपत्ति से आपने अपना वैभव बढ़ाना चाहा, आपने यहां पृथक निर्वाचन की पद्धति चलाई, भारतीय राजनीति में आपने धर्म को घुसेड़ा.....हमारे घरेलू मामलों में मान न मान, मैं तेरा मेहमान न बनिए...घरेलू समस्याओं का निपटारा यहां के निवासी ही कर सकते हैं.. हम एक संयुक्त दृढ़ महान भारत का निर्माण करेंगे। वह महान भारत इस देश की 40 करोड़ जनता का होगा, किसी दल विशेष, सम्प्रदाय विशेष या व्यक्ति विशेष का हरगिज़ नहीं होगा।'

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि 'प्रस्ताव में यद्धपि अधिकारों की चर्चा की गयी है पर उनकी सुरक्षा का कोई उपचार नहीं दिया गया है। अधिकारों का

कोई महत्व नहीं है, यदि उनकी रक्षा की कोई व्यवस्था न हो ताकि अधिकारों पर जब कुठाराघात हो तो लोग उनका बचाव कर सकें। वे चाहते थे कि प्रस्ताव में कहा जाए कि देश के उद्योग धंधों का और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। जब तक देश की अर्थनीति समाजवादी नहीं होती, किसी भी हुकूमत के लिए यह कैसे संभव होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान कर सके।'

19 दिसंबर 1946 के बाद इस प्रस्ताव पर 20 जनवरी 1947 को फिर से चर्चा शुरू हुई। मुस्लिम लीग सभा में शामिल नहीं हुई। पं. नेहरू ने 22 जनवरी को कहा कि

'हम इस दरवाज़े को खुला रखेंगे, आखिरी दम तक खुला रखेंगे और उनको, और हरेक को, जिनको यहां आने का हक़ है, पूरे तौर से आने का मौका देंगे। जाहिर है कि दरवाज़ा खुला है, लेकिन हमारा काम नहीं रुक सकता। पहला काम इस सभा का यह होगा कि इस संविधान के जरिये हिन्दुस्तान में आज़ादी फैलाएं, भूखों को रोटी दें और नंगों को कपड़ा दें और हिन्दुस्तान में रहने वालों को मौका मिले कि वह पूरी तौर पर तरक्की कर सकें। यह प्रस्ताव लड़ाई का नहीं है, बल्कि अपने हक़ को दुनिया के सामने रखने के लिए है और अगर इस हक़ के खिलाफ कोई बात ऐसी होगी, तो हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन यह प्रस्ताव एक दोस्ती और समझौते का है। कुछ नरेशों को यह बात पसंद नहीं आई है कि हमारे प्रस्ताव में जनता के सर्वसत्ता-संपन्न होने की कल्पना की गयी है। अगर कोई नरेश या मंत्री इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की शासन पद्धति की तीव्र निंदा के लिए यही आपत्ति काफी है। किसी भी व्यक्ति का दर्ज़ा कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका यह कहना कि उसे मनुष्य पर शासन करने का ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, नितान्त जघन्य है। यह विचार अब भारत की वर्तमान अवस्था से बिलकुल असंगत है। इसलिए मैं तो ऐसे व्यक्तियों (नरेशों/राजाओं) को गंभीरतापूर्वक यह सुझाव दूंगा कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, दोस्ताना सलूक चाहते हैं, तो उस बात को कहना तो दूर, आप उसकी ओर इशारा भी न कीजिये। इस प्रश्न पर कोई समझौता न होगा।'

उल्लेखनीय है कि जिस दिन पं. नेहरू रियासतों को यह संदेश दे रहे थे, उसके 16 दिन बाद ही विलय पर नरेशों/राजाओं के मंडल के साथ समझौता वार्ता होने वाली थी।

लक्ष्य संबंधी प्रस्तावों के अर्थ

वास्तव में यह प्रस्ताव केवल बड़ी-बड़ी बातों के संकलन के रूप में नहीं देखा जा रहा था। इसके मंतव्यों को खोलकर दुनिया के सामने रखा जा रहा था। जिस तरह की बहस इस प्रस्ताव पर हुई, उसके आधार पर यह कहा जाना वाजिब होगा कि इस प्रस्ताव के आठों बिन्दुओं का केवल एक ही अर्थ था, कोई छिपे हुए अर्थ नहीं थे। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और मूलभूत अधिकारों की आधारशिला भी इसी प्रस्ताव में (बिंदु-4 और 5) में रख दी गयी थी। एम.आर. मसानी ने संकेत दिए थे कि हमारी दृष्टि में प्रजातंत्र का यह अर्थ नहीं है कि 'पुलिस का शासन हो और लोगों को बिना मुकदमा चलाये ही खुफिया पुलिस गिरफ्तार कर ले या जेल दे दे। प्रजा केवल राज्य का आदेश मानने के लिए हो, केवल एक दल का शासन हो, विरोधी दलों को कुचल दिया जाए। यह प्रस्ताव बताता है कि हम प्रजातंत्र चाहते हैं और कुछ नहीं!'

> कुल मिलाकर लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव के माध्यम से कई लोगों को संदेश दिए गये। कुछ संदेश ब्रिटिश सरकार को दिए गये तो कुछ भारत की जनता को भी दिए गये। कुछ संदेश मुस्लिम लीग तथा भारत की विभिन्न रियासतों को भी दिए गये। इनके साथ ही भारत के भविष्य का स्वप्न भी बुन दिया गया। इस प्रस्ताव को एक असाधारण पहल माना जाना चाहिए, क्योंकि कठिनतम, विपरीत और असहयोगी परिस्थितियों (दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका, भारत विभाजन की मांग, देश के कुछ क्षेत्रों में साम्प्रदायिक हिंसा, रियासतों की सत्ता की राजनीति, ब्रिटिश सम्राट की सरकार की सियासत, अकाल की स्थिति आदि) के बीच न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता, विश्व शान्ति, गणतांत्रिक व्यवस्था का सपना देखना एक असाधारण प्रतिमान ही तो है!

संविधान का महत्व

मौजूदा दौर एक ऐसा समय है जब संविधान में दर्ज न्याय, बंधुता, प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार आदि सिद्धांतों को बचाने की सबसे अधिक जरूरत है। यह बात सही है कि संविधान के प्रावधान बहस से परे नहीं हैं। इस विशाल महादेश में लोगों के विश्वास और नज़रिये की विविधता ही इसकी ताकत है।

बीते दो दशकों में संविधान के बुनियादी स्वरूप को बदलने के प्रयास हुए लेकिन इन कोशिशों पर जनता में किसी तरह की बहस नहीं हुई।

आर्थिक उदारीकरण के बाद पूंजी तंत्र में आर्थिक सत्ताहासिल करने के लिए राज्य सत्ता पर नियंत्रण की जरूरत को समझा जा चुका था। इस सत्ता को पाने के लिए साम्प्रदायिकता और सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति को अपनाया गया। इस आर्थिक विकास ने आर्थिक असमानता की खाई को गहरा कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में संविधान के समता, स्वतंत्रता, बंधुता आदि मूल्यों को बार–बार नुकसान पहुंचाया गया। इस बीच संविधान को लेकर किसी तरह की बहस नहीं शुरु की गयी।

संविधान और नागरिक

संविधान कोई जीवित इकाई नहीं है लेकिन उसकी एक आत्मा है और वह आत्मा भारत के नागरिकों से बनती है। यदि नागरिक ही संवैधानिक सिद्धांतों से दूरी बना लेंगे या संविधान के प्रावधानों की उपेक्षा पर मौन रहेंगे तो संविधान से जुड़ी उम्मीदों का दम तोड़ना लाजिमी है। बीते सात दशकों में ऐसी कोई

महत्वपूर्ण कोशिश नहीं की गयी जिसके जरिये संविधान को आम लोगों के बीच पहुंचाया जाता या आम जनता के बीच संविधान के अहम प्रावधानों को लेकर कोई चर्चा की जाती। इस बात ने भी आम लोगों को संविधान के प्रति बेपरवाह बनाने में कुछ हद तक अपनी भूमिका निभाई।

समाज और संविधान का विरोधाभास

जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, हमारी तात्कालिक व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था, जाति और लैंगिक असमानता जैसी बुराइयां व्याप्त थीं। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद इन्हें समाप्त करने की जमीनी कोशिशों के अभाव में हमारा समाज विरोधाभास के साथ जीने वाला समाज बन गया। संविधान कहता है कि राज्य को छुआछूत रोकना चाहिए लेकिन हमारा समाज उसे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता है। संविधान स्त्री–पुरुष को समान मानता है जबकि समाज उनमें असमानता को ही मान्यता देता है।

यह विरोधाभास तभी समाप्त होगा
जब देश के नागरिकों में संविधान को लेकर जागरुकता बढ़ेगी।
परंतु इस बारे में सोचा ही नहीं गया। जितनी व्याख्याएं, टीकाएं
और अनुवाद ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों के हुए हैं, यदि उसके
आधे भी भारतीय संविधान के होते तो भारत समानता, स्वतंत्रता,
बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों की स्थापना में
काफी हद तक सफल रहता।

लोकतंत्र की पहल

आज़ादी के समय भारत लोकतांत्रिक देश नहीं था। लोकतंत्र हमें विरासत में नहीं मिला। भारत को लोकतांत्रिक प्रणाली गढ़ने की पहल करनी थी जो आसान नहीं थी। यह अब तक चली आ रही व्यवस्थाओं और स्वभाव से एकदम भिन्न थी। भारत को विरासत में ऐसा माहौल नहीं मिला था जो लोकतंत्र के अनुकूल हो।

यह वातावरण उसे स्वयं तैयार करना था और यह तब तक संभव नहीं था जब तक समाज में लोकतंत्र के बीज नहीं बोये जाते। ये बीज तभी बोये जा सकते थे जब समाज से जाति–वर्ण व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव–संपदा पर एकाधिकार–शोषण–अन्याय–अवैज्ञानिकता आदि को समाप्त किया जाता। इन्हें केवल संविधान से हटाया जा सकता था लेकिन उस वक्त इन बातों पर जोर नहीं दिया गया।

औपनिवेशिक और आंतरिक गुलामी

हम केवल अंग्रेजों की गुलामी के शिकार नहीं रहे। पितृसत्ता और जातिवाद भी एक प्रकार की गुलामी ही हैं। हालांकि पहले अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति जरूरी थी और इसके लिए लगातार संघर्ष भी चला। परंतु इस बात पर पर्याप्त बहस और पहल नहीं हुई कि अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद हम सामाजिक–आर्थिक असमानता, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव की गुलामी से कैसे मुक्ति पायेंगे?

> महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में हुई पहल जरूर हमारे सामने है लेकिन उनके आंदोलन देशव्यापी आंदोलन नहीं बन पाए। संविधान हमें आंतरिक आज़ादी दिलाना चाहता था लेकिन राजनीति और सत्ता भीतरी गुलामी को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध रहीं। ऐसे में अंग्रेजों के जाने के बाद भी देश आंतरिक रूप से उपनिवेशवादी बना रहा।

नागरिकता के विकास में बाधा बनी राजनीति

हमारी राजनीतिक सत्ता ने नागरिकता के विकास को हमेशा बाधित करने का प्रयास किया। हमारे यहां ऐसी शिक्षा, संवाद और सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था बनी ही नहीं जो नागरिकों को देश, उसकी धरती और पर्यावरण से जोड़ती। उन्हें इनके प्रबंधन और रखरखाव का अहसास कराती। नागरिकों को चेतना संपन्न नहीं बनाने का प्रयास इसलिए किया गया ताकि निर्णय लेने और

उन्हें लागू कराने का अधिकार हमेशा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के हाथ में रहे। आदिवासियों, दलितों, वंचितों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों और युवाओं को इन शक्तियों में शामिल नहीं होने दिया गया।

भारतीय संविधान निर्माण के उद्देश्य

भारत का पहला लक्ष्य था गुलामी से मुक्ति और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था कि गुलामी से मुक्त होकर भारत कैसा राष्ट्र बनेगा? संविधान इसी प्रश्न का उत्तर है। ब्रिटिश राज की अधीनता में भारत को जो अनुभव हुए, उन्हें आधार बनाकर संविधान के प्रावधान बनाये गये। गुलामी ने हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया था इसलिए संविधान में तय किया गया कि हर भारतीय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। गुलामी ने मौलिक अधिकारों का हनन किया था तो संविधान में हर भारतीय को मौलिक अधिकार प्रदान करने की बात तय की गयी। यह सुनिश्चित किया गया कि भारत के लोग अपना नेता, अपनी सरकार स्वयं चुनेंगे। इसके लिए संविधान ने संसदीय प्रणाली और चुनाव की व्यवस्था की।

सच तो यह है कि संविधान सभा के कई सदस्यों, जिनमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भी थे और डॉ. अम्बेडकर भी, ने कहा था कि संविधान कैसा भी हो, उसका क्रियान्वयन तो हमारे नेताओं और प्रतिनिधियों की मंशा और चरित्र पर निर्भर करेगा। संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उसका क्रियान्वयन करने वाले भ्रष्ट, साम्प्रदायिक, फासीवादी और अनैतिक हैं; तो अच्छे से अच्छा संविधान भी बेकार ही साबित होगा।

"भारत के संविधान में दर्ज प्रावधानों और अनुच्छेदों के भावों को समझने के लिए संविधान सभा के वाद-विवादों को पढ़ना जरूरी है। इसके बिना संवैधानिक प्रावधानों की महत्ता स्थापित कर पाना कठिन होगा।"

संविधान संवाद पुस्तिका शृंखला

- संविधान और हम
- भारतीय संविधान की विकास गाथा
- जीवन में संविधान
- भारत का संविधान – महत्वपूर्ण तथ्य और तर्क
- संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि
- संवैधानिक व्यवस्था : एक परिचय
- संविधान की रचना प्रक्रिया
- संविधान सभा में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र
- संविधान की उद्देशिका से परिचय
- संविधान : मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व
- संविधान और रियासतें
- संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता
- भारत के संविधान के रोचक किस्से
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज : तिरंगे की कहानी
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और भारतीय संविधान
- गांधी का संविधान
- संविधान और आदिवासी
- स्वाधीनता, स्वतंत्रता और संविधान
- संविधान और समाजवाद तथा आर्थिक समानता
- संविधान और सांप्रदायिकता
- संविधान और चुनाव प्रणाली
- संविधान और न्यायपालिका
- संविधान और अल्पसंख्यक
- इंसानी व्यवहार में लोकतंत्र के होने का मतलब

पुस्तकें पाने के लिए संपर्क करें –
vikassamvadprakashan@gmail.com / 0755 - 4252789

'संविधान संवाद' शृंखला क्यों?

जब हम किसी विषय के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं तो फिर हर पहलू को टटोलने, जानने और समझने की आवश्यकता और ललक होती है।

भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को जानने की उत्कंठा के कारण ही 'विकास संवाद' ने 'संविधान संवाद शृंखला' आरंभ की है। इसका उद्देश्य संविधान की विकास गाथा को जानना, उसके उद्देश्य को समझना तथा तय लक्ष्यों की प्राप्ति में हम नागरिकों के कर्तव्यों के बोध की पहल करना है।

यह संवैधानिक मूल्यों के आत्मबोध से उन्हें आत्मसात करने तक की यात्रा है।

विकास संवाद

Azim Premji Foundation